

# राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

ज्ञापांक ...../रा0आ0सं0, राँची, दिनांक .....

## कार्यालय आदेश

रिम्स शासी परिषद् की 49वीं बैठक दिनांक 14.10.2020 के एजेण्डा 19-(IV) में रिम्स, राँची में कार्यरत सभी नियमित कर्मियों का पारिवारिक सूची का ऑनलाईन मेडिकल रिकॉर्ड बुक तैयार कराकर फलीभूत करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। अतएव इस संस्थान में कार्यरत सभी नियमित चिकित्सक/परिचारिकाएँ/पारा मेडिकल कर्मी/लिपिक संवर्ग/चतुर्थ वर्गीय संवर्ग एवं अन्य स्थायी कर्मी को आदेश दिया जाता है कि वे निम्नांकित विहित प्रपत्र में भरकर अपने-अपने विभाग से अग्रसारित करवाकर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

## विहित प्रपत्र -1

### पदाधिकारी/कर्मचारी का विवरण

1. नाम :- .....
2. पदनाम :- .....
3. नियुक्ति की तिथि :- .....
4. स्थायी पता :- .....
5. अस्थायी पता :- .....
6. सेवानिवृत्ति/समाप्ति की तिथि :- .....
7. ब्लड ग्रुप :- .....
8. दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्या :- .....
9. आधार संख्या :- .....

### दुर्घटना होने की स्थिति में प्रथम सूचना किसे दी जाए

1. नाम :- .....
2. पता :- .....
3. दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्या :- .....

## विहित प्रपत्र -2

### पदाधिकारी/कर्मचारी के अश्रित का विवरण

क्रम संख्या	नाम	उम्र	लिंग	सम्बन्ध	फोटो

सत्यापित करने वाले पदाधिकारी  
का हस्ताक्षर (मोहर सहित)

आवेदक का हस्ताक्षर

ह0/-

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

ज्ञापांक 07...../रा0आ0सं0, राँची, दिनांक 4/11/2021

प्रतिलिपि :- नोटिश बोर्ड में चिपकाकर सभी कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- लिपिक, आगत शाखा, रिम्स, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष /प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय /प्राचार्या, नर्सिंग स्कूल तथा नर्सिंग कॉलेज /मातृका, रिम्स, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- सभी स्थापना लिपिक, रिम्स, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। आदेश दिया जाता है कि प्राप्त आवेदनों से ऑनलाईन मेडिकल रिकॉर्ड तैयार करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- ✓प्रभारी, आई.टी. सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर निदेशक (प्रशासन), रिम्स, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- चिकित्सा अधीक्षक /आंतरिक वित्तीय सलाहकार /चिकित्सा उपाधीक्षक /चिकित्सा पदाधिकारी (भंडार) /लेखापदाधिकारी/कार्यालय अधीक्षक, रिम्स, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची। 2021